

ई. ई.निक मारकर दि. 04/02

शहर स्ट्रीट सेफ्टी ड्राइव दस्ते की कार्रवाई

जिला संवाददाता | नांदेड़

नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने शहर स्ट्रीट सेफ्टी ड्राइव टीम के प्रमुख सपोनी संकेत दिघे को नांदेड़ शहर में सड़कों पर केक काटने, शराब पीने और खाना खाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। तदनुसार, शहर स्ट्रीट सेफ्टी ड्राइव टीम ने 2 फरवरी को निम्नलिखित कार्रवाई की। डाकघर के शिवाजी नगर क्षेत्र के आनंद नगर स्थित राज वाइन शॉप के चालक सहित 07 लोगों के खिलाफ अवैध रूप से शराब बेचने और पीने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के आरोप में महाराष्ट्र निषेध अधिनियम 1949 की धारा 68 और धारा 64 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शराब



की दुकान पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पोस्ट ऑफिस के शिवाजी नगर क्षेत्र के आईटीआई चौक में जन्मदिन के अवसर पर सार्वजनिक स्थान पर केक काटने वाले 06 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 110/117 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस स्टेशन हवाई अड्डा और भाग्य नगर थाने की सीमा में सार्वजनिक स्थानों पर अराजकता फैलाकर शांति भंग करने वाले कुल

15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुल 29 ऐसे व्यक्तियों कार्रवाई की है। उक्त कार्रवाई अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक नांदेड़, सूरज गुरव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नांदेड़ के मार्गदर्शन में सपोनी संकेत दिघे, सपुउपनि दीपक जोशी, पुकों, ज्ञानेश्वर बोर्डनवाड, नविद वाहीद, नवनाथ नागरगोजे, विजय सूर्यवंशी, सैयद मगदुम, शिवराज आडबे, ज्ञानेश्वर तेलंग, प्रवीण शिंदे ने की है।

ई. पु.म.न.ग.र.ि.



नांदेड़ : जुन्या नांदेडातील नंदगिरी किल्ल्यावर शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनाचे किल्लेदारांतर्फे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी नंदगिरी किल्ल्याला भेट दिली तसेच प्रदर्शनाची पाहणी केली. यावेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव यांच्यासह इतर उपस्थित होते.